न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 66/2025

अपीलांट्स

1. अली मोहम्मद पुत्र हारम खॉ
2. खमीश खॉ उर्फ खमू खॉ पुत्र खाजू खॉ
3. भाई खॉ पुत्र हासम खॉ
4. महीदीन खॉ पुत्र खाजू खॉ
5. मोहम्मद खॉ पुत्र हारम खॉ
6. समीर खॉ पुत्र खाजू खॉ
7. अकबर खॉ पुत्र जमाल खॉ
8. अफसना पुत्री शकूर खॉ
9. इदरीश पुत्र शकूर खॉ
10. इमरान पुत्र शकूर खां
11. इरफान पुत्र शकूर खॉ
12. जिकरा पुत्री शकूर खॉ,

(अपीलांट सं. 8 से 12 नाबालिग संरक्षक जरिये कुदरती वली माता अमतू पत्नी शकूर खॉ)

13. अमतू पत्नी शकूर खॉ
14. उम्मेद अली पुत्र बालम खॉ
15. अल्लाबक्श पुत्र बालम खॉ
16. इस्हाक मोहम्मद पुत्र आलमखॉ
17. मुबारक खॉ पुत्र जमाल खॉ
18. मुसे खॉ पुत्र आलम खॉ
19. मोहम्मद रसूल पुत्र बालम खॉ
20. रईस मोहम्मद पुत्र बालम खॉ
21. शौकत अली पुत्र आलम खॉ
22. सफेद खातून पत्नी आलम खॉ
23. सुल्तान पुत्र बालम खॉ
24. हसन खॉ पुत्र आलम खॉ
25. जैना खातू पत्नी इलमदीन

(सभी जातियान मुसलमान निवासी–ताजन जीरा की ढाणीयां, मोरिया मुंझासर तह0 आऊ, फलौदी राज0)

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. कमरदीन पुत्र अलसेर खॉ
2. अरब खातून पत्नी नूर खॉ उर्फ नूर मोहम्मद

(जाति मुसलमान निवासी थोरियों का बेरा, तहसील आऊ, जिला फलौदी)

3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आऊ, जिला फलौदी, राज0

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध आदेश दिनांक 11.02.2025 उपखण्ड अधिकारी आऊ राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 151/2023 (रिमाण्ड प्रकरण)

उपस्थिति –

1. श्री उम्मेदसिंह बावरला, भंवरसिंह तापू, वकील अपीलांट
2. गिरधरसिंह भाटी, वकील रेस्पो0सं0 1 व 2
3. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 3 की ओर से

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

निर्णय

दिनांक 29.10.2025

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी लोहावट जिला जोधपुर के आदेश क्रमांकः प्र.ग.रा./2021/02 दिनांक 25.10.2021 के द्वारा तहसीलदार आऊ द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम थोरियों का बेरा के खसरान नम्बर 108, 109, 120/1, 128/1, 128, 128/4, 128/3, 125/2, 125, 12 की भूमि में रास्ते में उपयोग हो रही उल्लेखित हैक्टर भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में विद्यमान कदीमी रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष राजस्व अपील संख्या 288/2022 बअनवान कमरदीन वगैरा बनाम राज0 सरकार प्रस्तुत की गई, जिसमें पारित निर्णय 10.6.22 द्वारा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलांट/हितबद्ध पक्षकारों को नोटिस जारी कर तामिली पश्चात उनकी उपस्थिति में नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण किया जावे। वक्त मौका निरीक्षण संबंधित पक्षकारों/हितबद्ध लोगों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा तैयार किया जावे। इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय उक्तानुसार तैयार मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा तथा अपीलांट/हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें, साथ ही अगर आवश्यक हो तो पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

उक्त आदेश के पालना में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट हाल उपखण्ड अधिकारी आऊ जिला फलौदी द्वारा रिमाण्ड प्रकरण/राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 151/2023 में पारित निर्णय दिनांक 11.02.25 के द्वारा अप्रार्थीगण–रेस्पो0–कमरदीन व अरब खातून के खाते में दर्ज क्रमशः खसरा नं0 349/125 रकबा 0.0890 हैक्टर व खसरा नं0 347/125 रकबा 0.0890 हैक्टर गै0मु0 रास्ता ग्राम थोरियों का बेरा को निरस्त कर पुनः अप्रार्थीगण के खातेदारी में पूर्व किस्म अनुसार दर्ज करने के आदेश तहसीलदार आऊ को दिये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपील के साथ अपील प्रस्तुत की अनुमति हेतु अंतर्गत धारा 96 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट्स ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.10.21 के विरूद्ध रेस्पो0सं0 1 व 2 ने सभी खातेदारों को पक्षकार बनाये बिना न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील सं0 288/2022 में पारित आदेश दिनांक 10.6.22 द्वारा अपील आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि वे सभी हितबद्ध पक्षकारों को नोटिस जारी कर तामिल पश्चात उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण करवाकर मौका रिपोर्ट मंगवायी जाकर विधिसम्मत निस्तारण करावे, साथ ही अगर आवश्यक हो तो पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उक्त आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उनकी अनुपस्थिति में एकतरफा मौका रिपोर्ट प्राप्त कर विधिविरूद्ध एवं मनमाना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था, जिसे नजरअंदाज किया गया। वादग्रस्त खसरान की भूमि में वक्त सेटलमेंट कदीमी रास्ता चल रहा था, जिसका ग्रामवासी पीढीयों से उपभोग करते आ रहे थे। इसके अलावा सभी खातेदारों ने गै0मु0 रास्ते के लिए 100/—रूपये के स्टाम्प पर लिखिल सहमति दी थी तथा मौका रिपोर्ट सभी की उपस्थिति में तैयार की थी। जिसमें तहसीलदार के आवेदन पर दिनांक 25.10.2021 को रास्ते हेतु न्यायोचित आदेश पारित किया गया था। उक्त रास्ता पुनः जांच रिपोर्ट दिनांक 05.06.24 के नक्शे में दर्शाया गया है, जो बिन्दु ए से बी बिल्कुल सीधा एवं निकटतम है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिये जाने से अपीलांट एवं अन्य खातेदारों को अपनी खातेदारी भूमि एवं ढाणियां इत्यादि में आने-जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.25 को निरस्त करते हुए प्रकरण में रास्ते हेतु पूर्व पारित आदेश क्रमांकः प्र.ग.स./2021/02 दिनांक 25.10.21 को यथावत बहाल रखने का आदेश फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 व 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह
किया किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित किया
गया है। मौका जांच रिपोर्ट पक्षकारान को नोटिस देकर मौके पर तैयार की गई है।
अप्रार्थी–रेस्पो0 सं0 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी खसरा नं0 क्रमशः 125/2 व 125 में
कोई कदीमी रास्ता नही था, पूर्व में रास्ते की गलत रिपोर्ट पेश हुई थी। जिसकी पुनः
जांच रिपोर्ट में अप्रार्थी सं0 2 के ख0नं0 125 में से जो रास्ता वर्तमान में ख0नं0
347/125 के रूप में दर्ज है वह मौका रिपोर्ट अनुसार ए से बी के मध्य चालू नही होने
से ख0नं0 125/2 में से भी पूर्व में रास्ता साबित नही है। इस कारण अप्रार्थी सं0 1 एवं
अप्रार्थी सं0 2 के तत्कालीन ख0नं0 क्रमशः 125/2 व 125 में से दर्ज ख0नं0 349/125
व 347/125 की उल्लेखित रकबा भूमि गै0मु0 रास्ते को निरस्त कर अप्रार्थी के मूल
खसरे में दर्ज करने का आदेश दिया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज कर
अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.25 को यथावत रखने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए विधिसम्मत
निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर
उपलब्ध अभिलेखों तथा प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व पारित निर्णय दिनांक 10.06.
22 व 27.06.22 एवं मौका जांच रिपोर्ट्स का ध्यान पूर्वक अवलोकन व मनन किया।
जिसके आधार पर यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजूद इस
मामले में पूर्व पारित अपीलाधीन आदेश कमांकः प्र.ग.स./2021/02 दिनांक 25.10.21 को
लेकर न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत दो अपीलें संख्या 288/2022 कमरदीन वगैरा
बनाम राज0 सरकार एवं 333/2022 अनवान पीरूखां वगैरा बनाम राज0 सरकार में
प्रारम्भिक स्तर पर सुनवाई के उपरांत अपीलाधीन आदेश क्रमशः 10.6.22 एवं 27.6.22
द्वारा उक्त दोनो प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये गये
थे कि वह अपीलांट/हितबद्ध पक्षकारों को नोटिस जारी कर तामिली पश्चात उनकी
उपस्थिति में नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण किया जावे। वक्त
मौका निरीक्षण संबंधित पक्षकारों/हितबद्ध लोगों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट व मौका
नक्शा तैयार किया जावे। इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय उक्तानुसार तैयार मौका रिपोर्ट
व मौका नक्शा तथा अपीलांट/हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात प्रकरण का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

विधिवत निस्तारण करें, साथ ही अगर आवश्यक हो तो पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उक्त दोनों आदेशों में अपीलाधीन आदेश निरस्त नही किया गया था। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में अपीलांट/हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। इसके अलावा मौका फर्द दिनांक 5.6.24 में स्पष्टतः उल्लेखित है कि मार्क 'ए' व 'बी' रास्ता (ख0नं0 349/125 व 347/125) पूर्व में मौके पर चलता था, लेकिन वर्तमान में खातेदारों द्वारा रास्ता बंद कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में पुनः निर्णय पारित करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

उक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पायी जाने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आऊ (फलौदी) द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 151/2023 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2025 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा (तत्कालीन) पूर्व पारित आदेश क्रमांकः प्र.ग.रा./2021/02 दिनांक 25.10.21 यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.10 अक्टूबर, 2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

29.10.25

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर